15 SEP 2016 All SDOs/COs

समाहरणालय, दरभंगा
प्राप्ति सं0 8166
दिनांक 6.9.16
कार्यालय स्थापना/ सामान्य
सेवा में, जिलाधिकारी

पत्र संख्या–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 12054

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।

सभी विभागाध्यक्ष।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।

परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।

निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।

सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना–15, दिनांक 05/8/16

विषय :- बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–115 से लोहार (Lohar) जाति को विलोपित करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (संख्या–23/2016) द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या–48/2006) को निरसित कर दिया गया है।

2. फलतः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–10818 दिनांक–08.08.2016 द्वारा अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या–108/1976) के आलोक में Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने का आदेश निर्गत किया जा चुका है।

3. विदित हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–13623 दिनांक–10.09.2015 द्वारा परिचारित बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (अधिनियम–1991) बिहार अधिनियम–3/1992 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–115 पर कमार (लोहार और कर्मकार) अंकित है।

4. लोहार जाति के एक साथ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित रहने के कारण उक्त जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करने में कठिनाई हो रही है।

5. उल्लेखनीय है कि बिहार अधिनियम–11, 1993 – बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा–2 (3) खंड (त्र) के स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है कि– यदि अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 1 और 2 में प्रमाणित वर्गों में से किसी वर्ग को राष्ट्रपति

के किसी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन–जाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो ऐसे वर्ग को उक्त अनुसूची से विलोपित हुआ समझा जायेगा।

6. अतः बिहार अधिनियम–11, 1993 के आलोक में बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–115 पर अंकित प्रविष्टि कमार (लोहार और कर्मकार) में से कमार (कर्मकार) को यथावत् रखते हुए लोहार **(Lohar)** जाति को विलोपित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(राजेन्द्र राम) 5/9/2016
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 12054 पटना–15, दिनांक 05/9/16

प्रतिलिपि–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(2) अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5/9/2016
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 12054 पटना–15, दिनांक 05/9/16

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सभी विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/2016
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 12054 पटना–15, दिनांक 05/9/16

प्रतिलिपि–अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि लोहार **(Lohar)** जाति संबंधी विलोपन को अधिकार सॉफ्टवेयर में अपलोड करने की कृपा की जाय।

5/9/2016
सरकार के अपर सचिव।

के किसी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन–जाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है, तो ऐसे वर्ग को उक्त अनुसूची से विलोपित हुआ समझा जायेगा।

6. अतः बिहार अधिनियम–11, 1993 के आलोक में बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–115 पर अंकित प्रविष्टि कमार (लोहार और कर्मकार) में से कमार (कर्मकार) को यथावत् रखते हुए लोहार (**Lohar**) जाति को विलोपित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

[signature] 5/9/2016
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 12054 पटना–15, दिनांक 05/9/16

प्रतिलिपि–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(2) अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

[signature] 2016
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 12054 पटना–15, दिनांक 05/9/16

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सभी विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 2016
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 12054 पटना–15, दिनांक 05/9/16

प्रतिलिपि–अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि लोहार (**Lohar**) जाति संबंधी विलोपन को अधिकार सॉफ्टवेयर में अपलोड करने की कृपा की जाय।

[signature] 2016
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 1391 दिनांक- 09/09/2016

प्रतिलिपि:- सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वरीय उप समाहर्ता, जिला सामान्य शाखा/जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, दरभंगा/आई० टी० प्रबंधक, समाहरणालय, दरभंगा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

[signature] 9/9/16
स्थापना उप समाहर्ता,
दरभंगा